दैनिक भास्कर

बिना रेरा नंबर के नहीं होगा फ्लैटों का निबंधन

पटना|रेरा में निबंधन के बिना और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के राज्य में फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नगर विकास विभाग रियल स्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद फ्लैट के निबंधन के लिए रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर व प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट को अनिवार्य होगा।

कहीं और नहीं मिलेगा काम : रेरा ने यह प्रस्ताव अधूरे प्रोजेक्ट में फ्लैटों की रजिस्ट्री की शिकायत मिलने के बाद की है। ऐसे बिल्डर देश के किसी कोने में दूसरा प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर पाएंगे। उनकी किसी परियोजना का नक्शा पास नहीं होगा। अभी तक 550 प्रोजेक्ट का निबंधन हुआ है, जबकि राज्य में फिलहाल एक हजार से ज्यादा बिल्डर काम कर रहे हैं। अनिबंधित बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए जल्द ही रेरा सभी जिलों में ऐसे प्रोजेक्ट का सर्वे कराएगा। इसके लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया चल रही है। एजेंसी के चुने जाने के बाद ऐसे बिल्डरों और प्रमोटरों पर कार्रवाई शुरू की जाएगी।